बिहार सरकार

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991

के

तहत गठित 9वीं आयोग

का

प्रथम आवधिक प्रतिवेदन

(धारा 6 g के तहत)

PERIODICAL REPORT

(UNDER SECTION 6 g)

2019

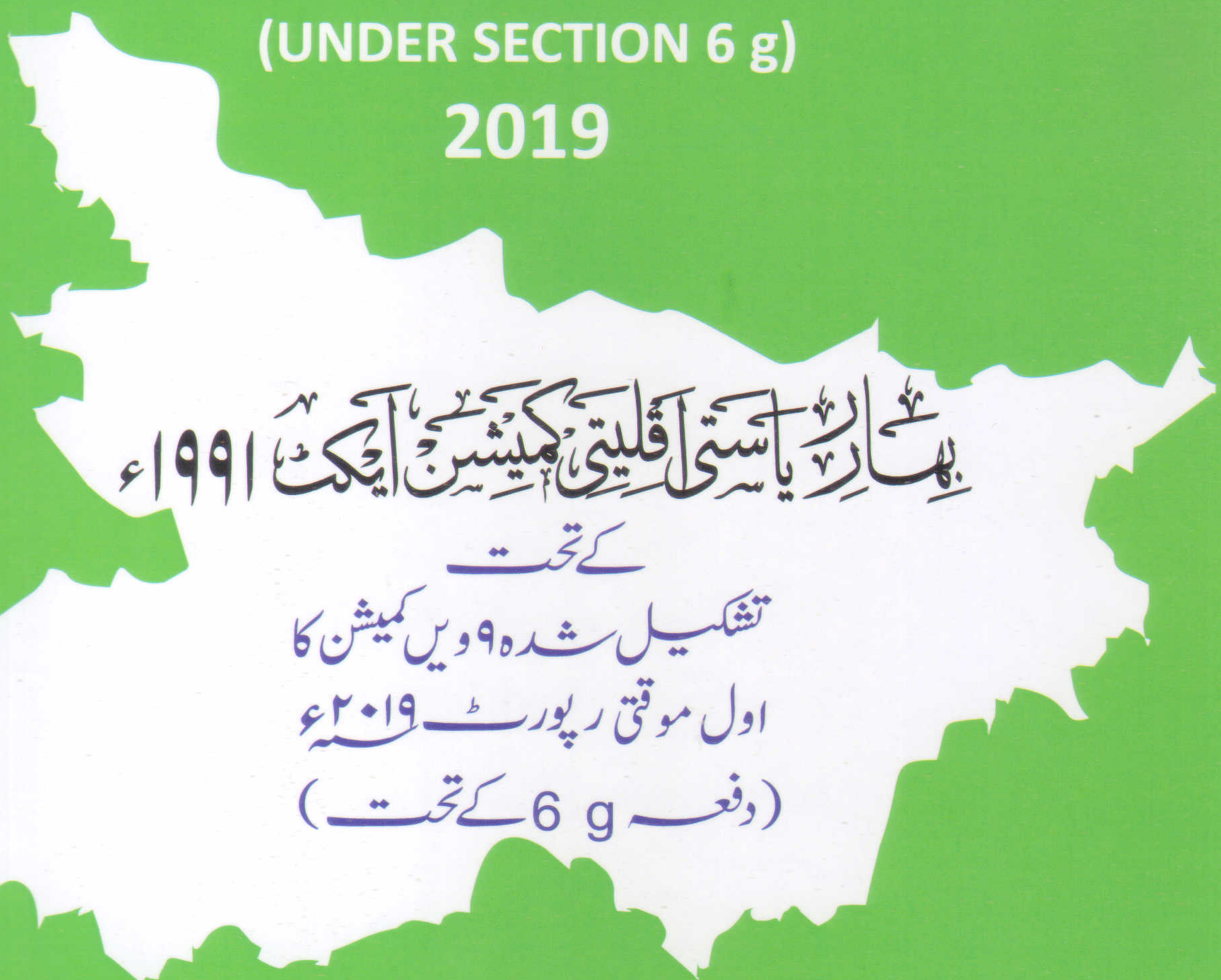

بہار ریاستی اقلیتی کمیشن ایکٹ ۱۹۹۱ء

کے تحت

تشکیل شدہ ۹ویں کمیشن کا

اول موقتی رپورٹ ۲۰۱۹ء

(دفعہ 6 g کے تحت)

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

6, साऊथ बेली रोड, पटना

अनुमोदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 6(g) के तहत 9वीं आयोग की इस प्रथम आवधिक प्रतिवेदन (Periodical Report) के प्रारूप को 9वीं आयोग की दिनांक 27.08.2019 का आयोजित 6ठी बैठक में सर्वसम्मति से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(डॉ० मंसूर अहमद एजाजी)
सदस्य–सचिव

(प्रो० मो० यूनुस हुसैन हकीम)
अध्यक्ष

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

प्रथम आवधिक प्रतिवेदन

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	अध्यक्ष का पूर्व-कथन	अपनी बात	3
2.	प्रथम	अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत परिपत्रों का सार	4
3.	द्वितीय	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अनुशंसित नई योजनाओ का ब्योरा।	7
4.	तृतीय	मॉब लिंचिंग/हेट किलिंग के संबंध में अनुशंसाऐं।	22
5.	चतुर्थ	द्वितीय राजभाषा उर्दू के विकास तथा कार्यान्वयन हेतु अनुशंसाऐं।	25
6.	पंचम	बंगला भाषी अल्पसंख्यक की ज्वलंत समस्याऐं।	29

अपनी बात

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 6(g) के तहत आयोग द्वारा एक आवधिक प्रतिवेदन (Periodical Report) देने का भी प्रावधान है।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 568 दिनांक 08.03.2019 द्वारा 9वीं आयोग के अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति की गई तथा दिनांक 08.03.2019 से इस पद पर कार्यरत हूँ। अपने अल्पावधि में मैंने राज्य के कई जिलों का भ्रमण किया है तथा आयोग के कार्यालय में संचिकाओं एवं अभिलेखों का गहन अध्ययन भी किया है। पूर्व में दिए गए आयोग की वार्षिक प्रतिवेदनों का अवलोकन भी करने का अवसर मिला है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अगुवाई में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी तत्पर है। उनके कल्याण के लिए अनेको परिपत्र भी निर्गत किए गए है। आवश्यकता इस बात की है उन राग़ी परिपत्रों तथा निर्णयों का दृढ़ता से अनुपालन हो ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक को इसके लाभ का अनुभव हो।

इस अल्पावधि में आयोग ने राज्य के अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ कुछ नई योजनाओं की अनुशंसा विभिन्न विभागों से की है। उन सभी अनशंसाओ को इस आवधिक प्रतिवेदन मे शामिल किया गया है। साथ ही पूर्व में निर्गत परिपत्रों का सारांश भी दिया गया है, जिसे प्रथम अध्याय में शामिल किया गया है। द्वितीय अध्याय में नई योजनाओं का ब्योरा दिया गया है, जिन्हें विभिन्न विभागों को विचारार्थ अनुशंसित किया गया है।

तृतीय अध्याय में वर्त्तमान समय की ज्वलंत समस्या "मॉब लिंचिंग" पर काबू पाने के लिए अनशंसाए की गई है।

द्वितीय राजभाषा उर्दू के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में कुछ अनुशंसाऐं की गई है तथा सुझाव दिया गया है जिसके कार्यान्वयन से उर्दू भाषा के विकास तथा द्वितीय राजभाषा के वास्तविक कार्यान्वयन में काफी सहयोग मिलेगा, जिसका समावेश चतुर्थ अध्याय में किया गया है। पंचम अध्याय में बंगला भाषी समुदाय खास तौर पर पूर्वी बंगाल (अब बंगलादेश) से आए शरणार्थियों की समस्याओं तथा उसके समाधान के लिए अनुशांऐं की गई है।

यह 9वीं आयोग का प्रथम आवधिक प्रतिवेदन है। आशा है कि यह आवधिक प्रतिवेदन राज्य के अल्पसंख्यकों के हित में कारगर साबित होगा।

इस अवसर में आयोग के दो पूर्व अध्यक्षों स्व० प्रो० मो० सलाम तथा स्व० प्रो० सुहैल अहमद को भी याद करना चाहता हूँ। प्रो० सुहैल की मृत्यु गत वर्ष हो गई। वे आयोग के सबसे लम्बी अवधि तक अध्यक्ष रहे। मो० सलाम कम उमर में अचानक हाल में चल बसे। उन्होने ही सर्व प्रथम आयोग का आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शुरूआत की थी।

मैं विभागीय मंत्री जनाब खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद तथा विभाग के अपर मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी के सक्रिय सहयोग के लिए आभारी रहुँ।

आवधिक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी तथा उनकी टीम में शामिल पी०आर०ओ०, मो० फारूकुज्जमाँ, श्री विश्वनाथ कुमार तथा श्री गौतम कुमार को भी धन्यवाद देता हूँ।

(प्रो० मो० यूनुस हकीम)
अध्यक्ष

पटना
दिनांक 26.08.2019

अध्याय–प्रथम

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ पूर्व से निर्गत परिपत्रों का सार

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ पूर्व में निर्गत परिपत्रों का सार

सरकार ने समय–समय पर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ तथा विकास हेतु महत्त्वपूर्ण परिपत्र निर्गत किए गए है। उन परिपत्रों के दृढ़ता से पालन भी आवश्यक है। उनका सार निम्न प्रकार है:–

1. **20–सूत्री कार्यक्रम मे अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में लाभांवित कराने हेतु**–कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक 451 दिनांक 19.03.1988 द्वारा 20–सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी विभागों को यह आदेश दिया गया था कि विभिन्न कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को भरपूर एंव सुनिश्चित लाभ पहुँचे इसके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए। उन कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली समितियों में भी अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उक्त आदेश को नवीकृत करते हुए पुनः पत्रांक 562 दिनांक 28.08.1997 द्वारा एक नवीन परिपत्र निर्गत करते हुए उपर्युक्त आदेश के पालन का निर्देश दिया गया। इस आदेश का दृढ़ता से अनुपालन कराया जाना आवश्यक है।

2. **विभिन्न सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम के तहत धन राशि कर्णांकित करने हेतु**–मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या–05/2010–1717 दिनांक 15.09.2010 के आलोक में सुशासन के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रम की कंडिका 4 के अनुसार "अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी आबादी के अनुरूप विभिन्न योजना मद में धन राशि स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन के रूप में कर्णांकित करने का प्रावधान है।"

किसी कारणवश इसका अनुपालन अभी तक नही हो सका है। अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर योजना एवं विकास विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर इसे लागू करने का आदेश दिया है। परन्तु अभी तक सभी विभागों में यह लागू नही हो सका है। अतः इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि अल्पसंख्यकों को सभी योजनओं में सुनिश्चित भागीदारी मिल सके और उन्हे यथोचित लाभ पहुँच सके।

3. **नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के निबंधन के संबंध में**–श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग अपने पत्रांक 1439 दिनांक 18.05.1985, 2177 दिनांक 19.07.1985, 2178 दिनांक 19.07.1985 एवं 164 दिनांक 18.01.1986 द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगारो को नियोजनालयों में निबंधन में कठिनाई नहीं होने, उनके नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने तथा अल्पसंख्यक सुमदाय के लिए एक अलग शाखा खोलने अलग निबंधन, नवीकरण एवं जीवित पंजी के निर्धारण का आदेश है। अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग काऊंटर खोलना है तथा इस आशय का एक सूचना पट्ट भी लगाना है। रिक्तियाँ आने पर अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित जीवित पंजी से भी संप्रेशण की कार्रवाई की जाएगी। एक अलग एक्स–63 संधारित करना है। यह महत्वपूर्ण आदेश है इससे बेरोजगार अल्पसंख्यकों को लाभ पहुँचेगा। अतः इसका दृढता से पालन कराने की आवश्यकता है।

4. **साम्प्रदायिक सदभावना बनाए रखने हेतु**—गृह विभाग के पत्रांक 4042 दिनांक 18.07.1970 द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद् की उप समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन करने का आदेश है। वर्त्तमान परिस्थिति के मद्देनजर इस समिति को सक्रिय तथा सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

5. विश्वविद्यालयों में **Equal Opportunity Cell की स्थापना तथा Anti Discrimination Officer की नियुक्ति के संबंध में**—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का विकास) रेगुलेशन 2012 के 3 (f) के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समान अवसर कोषांग (Equal Opportunity Cell) की स्थापना तथा एक भेदभाव निरोधक पदाधिकारी (Anti Discrimination officer) की नियुक्ति का प्रावधान है ताकि विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक /SC/ST विद्यार्थियों के साथ भेद--भाव तथा उनकी दिक्कतो का निराकरण किया जा सके। इस राज्य में आयोग के प्रयास से अब तक 7 (सात) विश्वविद्यालयों में इसकी पालन हो चुका है। शेष विश्वविद्यालयों में भी इसका पालन कराने से अल्पसंख्यक /SC/ST विद्यार्थियों का समस्याओ का विभागीय स्तर पर निराकरण हो सकेगा।

6. **अल्पसंख्यक समुदाय के सफाई मैनुअल स्केवेजंर्स का पुनर्वास**—सफाई कर्मियों के पुनर्वास एवं कल्याण के संबंध में भ्रम की स्थिति थी। जिसके कारण उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। आयोग ने नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेषन से पत्राचार किया तो उनसे स्पष्ट किया की NSKFDC के द्वारा बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड को सभी पात्र लक्षित समूह को लाभांवित करने के लिए आदेश दिये गये हैं। NSKFDC योजनान्तर्गत लक्षित समूह के व्यकित चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हो, सभी को लाभांवित करना होता है। राज्य में Manual Scavenger का सर्वेक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कराया जा रहा है तथा उनके पुनर्वास की योजनाएँ बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । अतः उन दोनों को आदेश दिया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय के Manual Scavenger का भी सर्वेक्षण कराया जाए तथा उन योजनाओं से भी लाभांवित कराया जाए।

अध्याय–द्वितीय

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अनुशंसित नई योजनाओं का ब्योरा।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अनुशंसित नई योजनाओं का ब्योरा।

1. अल्पसंख्यकों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने हेतु योजना

कर्नाटक की भांती अल्पसख्यकों को सहकारिता से जोड़ने हेतुः—कर्नाटक सरकार ने "सहकारिता सिंधु" के नाम से एक योजना के तहत अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग के साथ—साथ अल्पसंख्यको के लिए भी आर्थिक योजना का प्रावधान है। साथ ही सभी प्रकार की सहकारी संस्थानों में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यको को अधिक से अधिक सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समिति का एक शेयर या अधिकतम 500/— रूपया की अनुदान की भी योजना आरम्भ की गई है। यह दोनो योजनाएँ अल्पसख्यकों के लिए काफी उपयोगी तथा लाभकारी है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय की सहकारी संस्थानों में सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी।

बिहार में भी इस प्रकार की योजना आरम्भ की जाए ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संहकारी संस्थानों से जोड़ा जा सके। आयोग ने प्रस्ताव 2015 में ही सहकारिता विभाग को भेजा था मगर अभी तक इस पर कोई निर्णय नही लिया जा सका है। यथाशीध्र इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

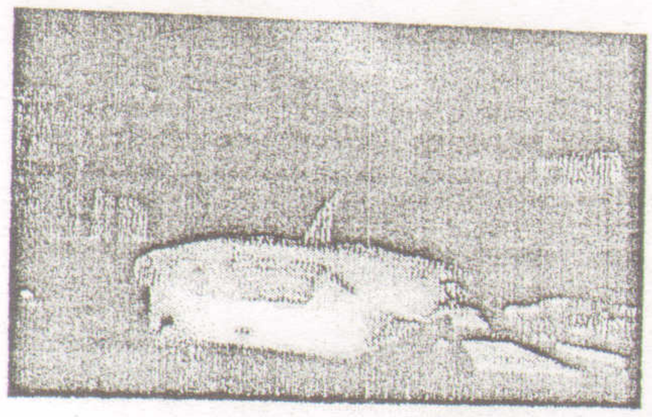

5. Financial Assistance to SC/ST/BC/Minorities Cooperative Societies:

Budget provision: Rs.24.00 lakhs
Pattern of assistance: Subsidy

Objective of the Scheme:

Societies organized by the SC/ST, BCM and Minorities do not have sufficient funds to undertake economic activities for the benefit of their members. Hence with a view to assist these societies to create infrastructure and assets, financial assistance is provided under this scheme. A sum of Rs. 24.00 lakh has been provided for this programme in the Annual Plan 2014-15.

Estimated benefit:

The beneficiary societies will be able to increase their business and thereby achieve their objectives.

6. Loan waiver :

Budget provision: Rs.427.82 lakhs
Pattern of assistance: Subsidy

Objective of the Scheme:

The scheme aims at helping the Cooperative farmers who have availed crop loan from Cooperative Societies/Banks. A sum of Rs.427.82 lakhs has been provided under this head to meet the balance claims in the Annual plan 2014-15.

Estimated benefit :

The farmers who have suffered on account of drought will be relieved of their loan burden.

7. Interest Subvention for loans to Self Help Groups (SHG's)'s:

Budget Provision: Rs.2000.00 lakhs
Pattern of assistance: Subsidy

Objective of the Scheme:

Reduction in the rate of interest on loans to SHGs at 4% and a firm commitment by the Govt. to provide interest subsidy on the loans sanctioned by the co-operative credit institutions.

Estimated benefit :

Encourage active participation of women also socially and economically backward sections of the society by providing accessible credit through formal financial institutions.

8. Enrolment of Backward Class/Minority persons as members of all types of Co-operatives:

Budget Provision: Rs.42.40lakhs
Pattern of assistance: Subsidy

Objective of the Scheme:

The scheme aims to expand the credit base to the weaker sections and minorities in the society by enrolling them as members of Co-operative Societies. An amount equal to the value of one share subject to a maximum of Rs.500.00 is sanctioned to the society to enrol such beneficiaries. A sum of Rs.42.40 lakh for the year 2014-15 has been provided.

Estimated benefit :

Economically weaker sections of the people belonging to BC/ Minorities will be able to get the facilities made available by the

2. अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की निर्धन तथा नि :सहाय कन्याओं की शादी के लिए अनुदान की प्रस्तावित योजना।

1. **योजना का नाम**–मुख्यमंत्री इंकैपेबुल्स निकाह योजना (Mukhyamantri Incapables Nikah Yojna) या मुमिन योजना (Mumin Yojna) ।

2. **उद्देश्य** : अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की निर्धन तथा निःसहाय कन्याओं / विधवा / परित्यकता के विवाह हेतु एक मुश्त अनुदान।

3. **पात्रता** : (1) बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आते हो।

(2) विवाह के समय बालिक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हो। इसकी पुष्टि जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण–पत्र से किया जाएगा।

(3) कुल पारिवारिक आय दो लाख रू० वार्षिक से अधिक न हो। अनाथ कन्या, आश्रयहीन विधवाओं, अपंगो, असाध्य रोगों से ग्रसित माता / पिता, भूमिहीन एवं दैवीय आपदाओं से ग्रसित परिवारों की कन्याओं को इस के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता के लिए सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा। विधवा / परित्यकता / महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है अथवा निराश्रित और स्वंय पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो।

(4) शादी की तिथि निर्धारण का प्रमाण शादी का कार्ड या पात्र पंचायत / नगर निकाय के सदस्यों अथवा जिला औकाफ कमिटी के सचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य होगा।

4. **प्रक्रिया** : (1) विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाईन / ऑफलाईन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में दिया जाएगा। आवेदन माता / पिता / अभिभावक या स्वंय कन्या कर सकती है।

(2) आय / आवासीय प्रमाण पत्र सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(3) कन्या के नाम से बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ट का फोटो स्टेट संलग्न करना होगा। कन्या का माता / पिता या अभिभावक के साथ स्वप्रमाणित फोटो लगाना होगा।

(4) अभिभावक का शपथ–पत्र। विधवा / परित्यकता स्वंय का शपथ–पत्र दे सकते है। उसमें पुनर्विवाह नहीं करने का भी उल्लेख होना चाहिए।

(5) विधवा/परित्यकता होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परित्यकता का प्रमाण पत्र जो काजी या बोर्ड कांसेलर/मुखिया द्वारा निर्गत हो। पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र।

(6) यदि किसी अन्य योजना से शादी हेतु अनुदान से लाभांवित हो तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(7) इस योजना का लाभ एक परिवार को पूरे जीवन काल में एक बार मिलेगा।

(8) जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी आवेदन की जांच कर सभी प्रक्रिया पूरी कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन स्वीकृति हेतु निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजेंगे। सरकार की स्वीकृति के पश्चात राशि का ऑनलाईन भुगतान बिहार राज्य सुन्नी वक्फ़ बोर्ड/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अथवा निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(9) आवेदन प्राप्त करने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया अनवरत चलेगी तथा ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि राशि का भुगतान शादी की तिथि से एक सप्ताह पूर्व निश्चित रूप से हो जाए।

5. **राशि** : इस योजना के अंर्तगत एक मुश्त 51,000/– रूपये की राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जाएगा ।

6. उक्त मद का व्यय शीर्ष ..... उपशीर्ष ..... से विकलनीय होगा।

नोट : इस नई योजना मे सरकार पर अलग से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बल्कि कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही कन्या विवाह योजना से इस योजना के लिए भी राशि कर्णाकित की जाएगी।

3. यतीमखानों (मुस्लिम अनाथालयों) में रहने वाले बच्चों को मुफ्त खाद्यान आपूर्त्ति के संबंध में।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा छात्रवासों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को 15 किलो ग्राम खाद्यान की आपूर्त्ति BPL दर पर करने का ऐतिहासिक आदेश दिया है।

यतीमखानों (अनाथालयों) में रह रहे अनाथ बच्चे की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आयोग ने भारत सरकार को भेजे अपने पत्र में कहा है कि इन यतीम खानों का संचालन लोगों के दान तथा चंदे से होता है। यतीम खानों में बच्चों को मुफ्त आवास भोजन तथा शिक्षा की सुविधा दी जाती है। अगर उन यतीम खानो में रह रहे बच्चों को भी BPL दर पर 15 किलो ग्राम अनाज आपूर्त्ति का आदेश निर्गत किया जाता है तो इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने अपने पत्रांक 4-6/2018/Bihar/BP II दिनांक 16.08.2019 द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार आवंटन देती है; साथ ही यह कहा है कि बिहार सरकार को निर्णय लेना है कि किस संस्था को उपावंटित किया जाए तथा आयोग को परमर्श दिया है कि बिहार सरकार के आपूर्त्ति विभाग से सम्पर्क किया जाए। पत्र की प्रति बिहार सरकार को कार्रवाई हेतु भेजा गया है। (प्रति संलग्न)

इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए राज्य सरकार, केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय से प्राप्त आवंटन से यतीम खानों में रह रहे अनाथ बच्चो के भी BPL दर पर खाद्यान उपावंटित करे जो उनके लिए संजीवनी साबित होगी। सरकार पर कोइ भार नहीं पड़ेगा और यश भी मिलेगा।

No. **4-6/2018/Bihar/BP-II**
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated the 16th August, 2019.

To

Prof. Yunus Hussain Hakim
Chairman, Bihar State Minorities Commission
6, South Baily Road,
Patna – 800001, Bihar.

Subject: Allocation of foodgrains to Muslim Orphanages at free of cost -reg.

Sir,

I am directed to refer to your letter no. सं०सं०बि०रा०अ०आ (परि०) 224/2015-907 dated 23.07.2019 on the above subject and to say that the Department of Food and Public Distribution, Government of India allocates foodgrains to States Governments/UT Administrations at BPL rates to meet the requirement of Government run welfare institutions such as beggar homes, nari niketans and other similar welfare institutions and all the students of the Government run hostels having 2/3rd residents belonging to SC/ST/OBC category. No allocation of foodgrains is made directly to any hostel or welfare institution of the State/UT Governments by this Department.

2. It is, therefore, requested to approach Department of Food & Civil Supplies, State Government of Bihar in this regard.

Yours faithfully,

(Asit Halder)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23382504

Copy to:

The Principal Secretary,
Department of Food & Civil Supplies,
State Govt. of Bihar,
Patna.

4. मुस्लिम यतीम खानों (अनाथालयों) को कर्नाटक की भांती अनुदान दिए जाने हेतु।

इस राज्य के विभिन्न जिलों में मुस्लिम यतीमखाना (अनाथालय) गैर सरकारी संगठनो द्वारा चलाया जा रहा है। इनमें से अधिकतर लोगो के दान तथा चंदे से चल रहे है। यदि उन्हें सरकारी अनुदान दिया जाए तो अनाथ बच्चों को काफी राहत मिलेगी। कर्नाटक सरकार द्वारा अनाथालय में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वले बच्चों को 350/– रूपये प्रति व्यक्ति बारह माह अनुदान दिया जाता है।

आयोग ने समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजकर अनुशंसा किया था कि बिहार में भी यतीमखानों के लिए इस तरह की योजना आरम्भ करने पर विचार करते हुए यथाशीध्र निर्णय लिया जाए। ज्ञातव्य है कि इस राज्य में यतीमखानों में रहने वाले अधिकतर बच्चे मदरसा शिक्षा ग्रहन करते है। अतः वर्ग वर्ग 1 से 10 तक समकक्ष मदरसा के शिक्षा ग्रहन करने वाले को भी इस योजना मे शामिल किया जाए। समाज कल्याण विभाग ने अपने पत्रांक 1578 दिनांक 06.07.2018 द्वारा इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग को स्थांतरित कर दिया था। शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यथाशीध्र विषय पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

5. अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की अतिपिछड़ी पेशेवर जातियों के उत्थान हेतु अनुशंसाएँ :–

- **नटः**—नट मुस्लिम धर्मालम्बी अत्यंत पिछड़ी जाति में आती है। इनका पेशा घूम–घूम कर भीख मांग कर या गाना बजा कर अपना पेट पालते है। इस समाज के अधिकतर लोग स्थाई वास नही करते है। इस समाज की शिकायत रहती है कि पुलिस झूठे मुकदमे में फंसा देती है। इसलिए इस समाज की सुरक्षा तथा स्थाई रोजगार की व्यवस्था की आवश्यकता है।

- **बंजाराः**—बंजारा जाति मुस्लिम समुदाय की इकलौती जाति है जो कि अनुसूचित जनजाति में शामिल है। उनका पेशा भी घूम–घूम कर गाना बजाना करना तथा मवेशी पालन है।

आयोग ने इस समुदाय को पहुँचाये गए लाभों का ब्योरा समाज कल्याण विभाग से मांगा था। विभाग ने सभी जिला से प्रतिवेदन की मांग की थी। मगर दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद प्रतिवेदन अप्राप्त है। इसका अर्थ है बंजारा के उत्थान के लिए कोई ऑकड़ा उपलब्ध नहीं है, यानि कि उनके उत्थान हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है।

अतः बंजारा के उत्थान हेतु विशेष प्रयास के लिए कार्य योजना तैयार किया जाना चाहिए। आयोग ने इस संबंध में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग का पत्रांक 932 दिनांक 30.07.2019 भेज कर बंजारा तथा नट जातियों के उत्थान हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का अनुरोध किया है।

III. मिरयासिन, चूड़ीहारिन, पमरिया एवं बेसातिन जातियों के उत्थान हेतुः–

(1) मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत मिरयासिन, चुड़ीहारिन और बेसातिन अत्यंत पिछड़ी जाती में आती है। यह अशिक्षित और निर्धन भी है। मुस्लिम समुदाय में यह तीन प्रमुख जातियाँ ऐसी हैं जिसमें महिलाएँ पुराने समय से स्वरोजगार और आत्मनिर्भर रही है, बल्कि यूँ कहा जाए कि यहाँ महिलाओं की प्रधानता रही है तो गलत नही होगा। मिरयासिन का मुख्य पेशा शादी, ब्याह, जन्म, मुंडन के अवसर पर गाना बजाना है। बेसातिन या टिकुलिहारिन या मनिहारिन बक्से या बड़े टोकरे में परचुन का समान सर पर लेकर गाँव–गाँव फेरी लगाकर बिक्री करती हैं। वहीं चुड़ीहारिन टोकड़ी में चुड़ियाँ घर–घर ले जा कर बेचती है। मगर इस आधुनिकता के दौर में उनका व्यवसाय करीब–करीब खत्म है और उनके अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः इस बात की जरूरत है उन्हें प्रशिक्षित कर आर्थिक सहायता देकर नए जमाने की आवश्यकता के अनुरूप ढाला जाए ताकि रोजी–रोटी के साथ–साथ उनका अस्तित्व भी बचा रहे। इसलिए स्वालम्बन योजना तथा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत उनके लिए कार्य योजना तैयार कर उनके उत्थान के लिए कारगर कारवाई की आवश्यकता है ताकि उन जातियों के अस्तित्व की रक्षा की जा सके।

इस संबंध में आयोग ने समाज कल्याण विभाग को पत्रांक 641 दिनांक 13.08.14 द्वारा अनुशंसा भेजी थी। कई स्मार क़े बाद प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम के पत्रांक 1781 / 16–17 दिनांक 16.03.2017 द्वारा योजना बनाने के लिए उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी मांगी थी। आयोग ने उपलब्ध आंकड़ा को इस कार्यालय के पत्रांक 249 दिनांक 10.04.2017 द्वारा उन्हें भेज दिया गया। परन्तु 2 वर्षों की अवधि बीत जाने तथा कई स्मार के बावजूद कृत कारवाई से उनके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया तो आयोग ने माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग को अपने पत्रांक 919 दिनांक 25.07.2019 द्वारा महिला विकास निगम को यथाशीध्र कारवाई करने का आदेश दने हेतु अनुरोध किया। उसके बाद महिला विकास निगम के पदाधिकारी आयोग में उपस्थित हुए तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उन जातियों को चिन्हित करने में सहयोग का अनुरोध किया है। आयोग ने सहयोग का आस्वाशन दिया है। उन तीनों जातियों के उत्थान की योजना का यथाशीध्र कार्यान्वयन आवश्यक है।

(2) उसी प्रकार पमरिया मुस्लिम समुदाय की एक अत्यंत पिछड़ा, अशिक्षित एवं निर्धन जाति है जिनका पेशा शादी, विवाह, जन्म इत्यादि के अवसर पर नाच–गाना है। वह लकड़ी को घोड़ो में गाँव–गाँव नाच कर बच्चों का मन बहलाते है। यही उस जाति का रोजगार का साधन है। परन्तु आधुनिक युग में यह प्रथा लुप्त प्रायः हो जाने के कारण पमरिया जाति बेरोजगारी का शिकार हो गया है। गरीब और अशिक्षित तो पहले से ही है।

आयोग के पत्रांक 629 दिनांक 12.08.2014 द्वारा पमरिया तथा मिरयासिन जाति की कला को जीवित रखने तथा उनके उत्थान के लिए अनुशंसा कला संस्कृति एवं युवा विभाग को भेजी थी। मिरयासिन तथा पमरिया जातियों की कला को जीवित रखने हेतु योजना बनाने का अनुरोध किया था। विभाग ने

अपने पत्रांक 712 दिनांक 03.09.2017 द्वारा बिहार संगीत नाटक अकादमी से इस विषय पर प्रस्ताव मांगा था तथा इसके लिए दो स्मार भी दिए गए परन्तु 5 वर्ष से यह मामला लंबित है। कितनी बिडेबना है कि प्रशासी विभाग का आदेश का अनुपालन अधीनस्थ संस्था नहीं कर रही हैं

अतः माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग को पत्र भेजकर ओयाग ने अनुरोध किया है कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए अपने स्तर से यथोचित आदेश देते हुए यथाशीध्र कारवाई का निर्देश देने की कृपा करें ताकि दोनो जातियों के उत्थान का कार्य यथाशीध्र आरम्भ हो सके।

IV. **मीर शिकार एवं मदारी**—मीर शिकार तथा मदारी मुस्लिम धर्मालम्बी अत्यंत पिछड़ी जातियाँ है। मीर शिकार का पेशा चिड़िया पकड़ना, पालना तथा बेचना है। उसी प्रकार मदारी का पेशा बंदर या भालू को नचाकर करतब दिखाना है। वन्य प्राणी संरक्षण कानून के कारण दोनों समुदाय बेरोजगार हो गए है। आयोग ने दोनों समुदाय के पुनर्वास हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग से अनुरोध किया था।

प्रधान वन संरक्षक बिहार ने अपने पत्रांक 3897 दिनांक 22.09.2015 द्वारा सूचित किया है कि भालू नचाने वाले मदारियो का पुर्नवासित कर दिया गया है। बंदर नचाने वाले मदारियों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार यह भी बताया गया था कि मीर मीर शिकारों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी नहीं है। जानकारी एकत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि यदि आयोग के पास कोई सूचना उपलब्ध हो तो उसे भी उपलब्ध कराया जाए। आयोग ने इस संबंध उपलब्ध जानकारी सूचना विभाग को दे दिया था। मगर अग्रेत्तर कार्रवाई की जानकारी अब तक अप्राप्त है। यथाशीध्र इस दिशा में कार्रवाई की आवश्यकता है।

V. **शीशागर**—इनका परमपरागत पेशा शीशा का सामान जैसे शीशे का बोतल, बुइआम तथा शीशे का तरह—तरह का सुंदर सामान बना कर बेचना है। इसमें अधिकत्तर महिलाए इस पेशा को करती है। इन्हें गाँवों में शीशी व बुइआम वाली कहा जाता है। पुराने कपड़ा से भी यह सामान बदलती है। आधूनिक युग में यह पेशा भी समाप्ति की ओर है। इसे बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए महिला विकास निगम अपेक्षित कार्रवाई कर सकती है।

VI. **कागजी**—मुस्लिम समुदाय की यह जाति कागज का फूल, खिलौना इत्यादि बनाने तथा बेचने का कार्य करती है। इस जाति का भी पेशा धीरे—धीरे मंदा पड़ गया है। और यह समाप्ति की ओर है। इसे बचाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इस संबंध में उद्योग विभाग का कोई कार्य योजना बनानी चाहिए।

VII. **साईसः**—इनका पेशा घोड़ा पालना, घोड़ा गाड़ी जैसे टमटम, यक्का आदि चलाना है। मगर आधुनिक युग में मोटर चलित वाहनों के आने के बाद यह पेशा भी समाप्ति की ओर है। इस बिरादरी की नई पीढ़ी बेरोजगार हो रहे है। अतः आयोग ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से उन्हें ऋण में विशेष सुविधा देने को कहा था। इस पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। राज्य सरकार टमटम/यक्का को हेरीटेज की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

VIII. **नानबाई / भटियाराः**—इस जाति का काम एक खास किसिम की रोटी बनाना तथा सराय का देखभाल करना एवं वहाँ ठहरने वालो का सेवा सत्कार करना था। इस जाति को रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु आयोग ने सरकार विभागों को अनुशंसा भेजा था कि विश्राम गृहों में बहाली में प्राथमिकता दिया जाए। प्रसन्नता की बात है कि कई विभागों ने इसे अनुशंसा को मानते हुए आदेश निर्गत किया है।

IX. **मुस्लिम धर्मालम्बी MANUAL SCAVENGERS**–SCAVENGERS की पुनर्वास योजना में यह असमजंस था कि मुस्लिम धर्मालम्बी उसमें शामिल होगे या नहीं ? आयोग के प्रयास से नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एण्ड डेवेलपमेंन्ट कारपोरेशन ने अपने पत्रांक 2625 / 29.12.2014 द्वारा स्पष्ट किया है कि "एन०एस०के०एफ०डी०सी० के द्वारा बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड की सभी पात्र लक्षित समूह को लाभांवित करने के लिए आदेश दिए गए है। लक्षित समूह के व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हो लाभांवित करना है।

सचिव, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम ने अपने पत्रांक 956 दिनांक 02.08.2019 द्वारा सूचित किया है कि पूर्व में निगम मुख्यालय का पत्रांक 395 दिनांक 09.03.2015 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि MANUAL SCAVENGERS का सर्वेक्षण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, जिन्हें जिला पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई करना है, जिसका अनुश्रवण बिहार राज्य महादलित विकास मिशन द्वारा किया जाना है। उन्होंने मिशन निदेशक को भी इस संबंध में अनुरोध किया था।

आयोग ने अपने स्तर से राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों से मुस्लिम स्केवेन्जर्स की सूची प्राप्त की है जिसमें एक प्रति सुविधा के लिए संलग्न करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 78 दिनांक 07.02.2017 द्वारा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम को भेजा जा चुका है दुःख के साथ कहना है कि दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः यथाशीध्र इस दिशा में कार्रवाई की जाए।

X. **कब्रिस्तानों व शमशानों के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में**—राज्य के कई गाँवों में कब्रिस्तानों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण शव दफनाने में कठिनाई होती है। कई स्थानों पर दूर गाँव में जाकर शव दफन करना पड़ता है। साथ ही बहुत से कब्रिस्तान गैरमजरूआ कर खतियान में अंकित है। जिसको लेकर विवाद होता रहता है। पंजाब सरकार ने जहाँ कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध नही वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध करने तथा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं रहने पर भूमि अधिग्रहण का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति संलग्न) इसी आधार पर आयोग ने राजस्व विभाग से अनुशंसा किया था कि इस राज्य में भी जहाँ कब्रिस्तान की भूमि नही है वहाँ कब्रिस्तान के लिए गैरमजरूआ भूमि उपलब्ध कराई जाए। राजस्व विभाग ने अनुशंसा को मानते हुए अपने पत्रांक 234 दिनांक 17.03.2017 द्वारा गृह विभाग से कब्रिस्तानों के लिए गैरमजरूआ भूमि उपलब्ध कराने एवं गैरमजरूआ भूमि पर अवस्थित कब्रिस्तानों की जमाबंदी कब्रिस्तान के

नाम पर कायम करने हेतु अभिमत मांग था। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 5246 दिनांक 08.06.2017 द्वारा अनापत्ति पत्र राजस्व विभाग को भेज दिया है (प्रति संलग्न)। तथा इसकी सूचना आयोग को भी दिया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 483 दिनांक 10.08.2017 द्वारा राजस्व विभाग को अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया था कि यथाशीध्र इस विषय पर निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किया जाए। परन्तु दो वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद स्थिति से अब तक अवगत नहीं कराया गया है। ऐसा आदेश निर्गत करने से आए दिन होने वाले विवादों तथा परेशानियों का समाधान हो सके तथा जहाँ कब्रिस्तान के अभाव में मैयत (शव) को दफ़न करने में कठिनाई होती है, उसका भी समाधान हो सके। इसी तरह का प्रावधान शमशान के लिए भी किया जा सकता है।

आयोग ने अपने पत्रांक 900 दिनांक 22.07.2019 द्वारा माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भी अनुरोध किया है कि यथाशीध्र विभाग को आदेश निर्गत करने का निदेश देना चाहेंगे तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे। इस आदेश से जहाँ एक ओर अल्पसंख्यक समुदाय को राहत मिलेगा वही सरकार की ओर से एक अच्छा संदेश जाएगा। परन्तु अभी तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। यथाशीध्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।

❖
❖ ❖

(ENGLISH TRANSLATION)

GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATS
Vikas Bhawan Sector 62 S.A.S. Nagar (Mohali)
(Land Development Branch)

To

All the Block Development and Panchayat Officers
in the State of Punjab.

No. 15/4/11/L.D.-3/General/6164-83
Dated Mohali 22-3-2011.

Subject : Allotment of land for graveyards of Muslim and Christian communities in different villages and cities of the State of Punjab.

****

With regard to the subject cited above, it is stated that as per Rule 3(2)(xi) of The Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, the Gram Panchayat can use its Shamlat Land for the purpose of graveyard. You are, therefore, directed that for the above said purpose wherever Shamlat land is available, land be made available for graveyard immediately and wherever land is not available then case for acquisition of land be prepared and forwarded to this department, immediately.

Sd/-
Deputy Director (Land Development)

Endst. No. 15/4/11/L. D-3 General/6185 Dated Mohali 22-3-2011

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Additional Principal Secretary (B) Chief Minister, Punjab w.r.t. their letter No. 1487 dated 21-1-2011.

2. Chairman, Punjab State Minority Commission w.r.t. letter No. 8/3/10-1MC/335 dated 29-12-2010 and dated 31-12-2010, dated 12-1-2011 and dated 18-1-2011.

Sd/-
Deputy Director (Land Development)

पत्रांक–6 / खा0 म0 पटना–05 / 2017– (6) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

प्रवीण कुमार झा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
गृह (विशेष) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–..........................

विषय– कब्रिस्तानों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग– सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक–स0 रा0 अ0 आ0–132 / 2014–138 दि0–17.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कब्रिस्तानों के लिए गैरमजरूआ भूमि आवंटित करने एवं यदि कब्रिस्तान गैरमजरूआ भूमि पर अवस्थित है तो उसकी जमाबन्दी कब्रिस्तान के नाम पर कायम करने का अनुरोध किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पंजाब सरकार का उदाहरण दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि आयोग के अनुशंसा के आलोक में गृह (विशेष) विभाग के अभिमत से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–..........................– (6) / रा, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को उनके पत्रांक–138 दि0–17.02.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार झा),
सरकार के विशेष सचिव।

पत्र संख्या-सी0/सा0आई0मिस0-4005/2016-5246...

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक,

विमलेश कुमार झा
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

विशेष सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक ....08/06/17....

विषयः- कब्रिस्तानों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक-स0स0अ0आ0-132/2014-138, दिनांक 17.02.2017 एवं आपका पत्रांक-234, दिनांक 17.03.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि कब्रिस्तानों के लिए गैरमजरूआ भूमि आवंटित करने एवं यदि कब्रिस्तान गैरमजरूआ भूमि पर अवस्थित है तो उसकी जमाबन्दी कब्रिस्तान के नाम पर कायम करने में गृह विभाग को अनापत्ति है।

विश्वासभाजन
सरकार के संयुक्त सचिव

अध्याय–तृतीय

मॉब लिंचिंग/हेट किलिंग के सम्बंध में अनुशंसाऐं

मॉब लिंचिंग/हेट किलिंग

मॉब लिंचिंग तथा हेट किलिंग आज देश की ज्वलंत समस्या है। बिहार भी इससे अछुता नही है। अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ कम घटनाएँ घटी है। मगर इधर कुछ दिनों से इसमें तेजी आई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेश जारी किए है। पुलिस महानिदेशक के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेश के पालन हेतु आदेश निर्गत किए गए है। मगर आवश्यकता का बात है कि उसका कड़ाई से पालन कराया जाए तथा अनुश्रवण की Foolproof व्यवस्था हो। इसके लिए जरूरी है कि राज्य स्तर के नॉडल पदाधिकारी जिला स्तर के नोडल पदाधिकारी के साथ हाट लाईन पर रहे। जिला नोडल पदाधिकारी थाना प्रभारी की साथ समीक्षा करें। थाना प्रभारी अपने चौकीदार तथा मुखबिरों को चुस्त–दुरूस्त रखे ताकि धटना की सूचना उन्हें तुरंत मिल जाए। पुलिस के ससमय पहुँचने से कई कीमती जिंदगी तथा निर्दोष लोगों का गैर कानूनी मॉब से बचाया जा सकता है।

इस संबंध में आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जो कि गृह विभाग के भी प्रभार में हैं पत्र लिखकर कई सुझाव दिए है जो कि निम्न प्रकार हैः–

1. मॉब लिंचिंग/हेट किलिंग तथा जबरदस्ती अवांछणीय नारा लगवाने के लिए दोशियों के विरूद्ध कड़ा कानून मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के तर्ज पर बनाया जाए। मॉब लिंचिंग/हेट किलिंग के लिए थाना प्रभारी को जिम्मेवार बनाया जाए।

2. जिस क्षेत्र में मॉब लिंचिंग हो वहाँ सामुहिक जुर्माना का प्रावधान किया जाए। जुमार्ना की राशि लगान तथा होल्डिंग टैक्स के साथ वसूला जाए जिससे वसूली सुनिश्चित हो सके।

मॉब लिंचिंग की अधिक्तर घटनाएँ मवेशी चोरी तथा तस्करी के झुठे इलजाम तथा बीफ के नाम पर होता है।

अतः आयोग ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निम्न अनुशंसाए भेजी हैः–

1. बिहार पशु संरक्षण एवं उन्नयन अधिनियम 1955 की धारा 4 में नया धारा जोड़कर राज्य के अंदर प्रतिबंधित मवेशियों का गैर वध कार्य हेतु व्यापार करने वाले एवं गैर प्रतिबंधित मवेशियों का वध करने तथा मास बिक्री करने वाले को अनुज्ञप्ति तथा परिवहन हेतु परमिट निर्गत किया जाए।

2. उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत सांढ़ के लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान है, उसी तरह गाय, बैल, भैंस आदि रखने के लिए भी एच्चिक अनुज्ञप्ति या परमिट का प्रावधान किया जाए जिसे पंचायत या शहरी निकाय निर्गत कर सकते है। जैसा कि कुत्ता पालने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त उपाय से पशुओं से रोजगार करने वालों के जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी तथा राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

अभी हाल में एक नया ट्रेड शुरू हुआ है जिसे मॉब लिंचिंग की नई शक्ल कह सकते है। बच्चा चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। अफवाह फैला दिया जाता है और किसी निर्दोष की पिटाई हो जाती है। यहाँ तक कि अपना बच्चा ले जाने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं जैसा कि पटना में महमूद आलम नाम औटो रिकशा चालक के साथ हुआ। इस पर भी कड़ाई से रोक लगाने के साथ–साथ लोगो को जागरूक करने की आवश्यकता है जैसा कि पुलिस ने प्रयास आरम्भ किया है। अगर इस पर तुरंत लगाम नहीं लगा तो मवेशी चोरी की तरह बच्चा चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग महामारी के रूप धारण कर लेगा।

❖
❖ ❖

अध्याय–चतुर्थ

उर्दू भाषा के विकास एवं वास्तविक कार्यान्वयन हेतु अनुशंसाऐं

उर्दू भाषा के विकास एवं वास्तविक कार्यान्वयन हेतु अनुशंसाऐं

I. **उर्दू निदेशालय–प्रमंडल तथा जिला स्तर पर राजभाषा (उर्दू) पदाधिकारी के पदों का सृजन**–सरकार ने द्वितीय राजभाषा उर्दू के कार्यान्वयन तथा विकास हेतु एक उर्दू निदेशालय का गठन किया है। परन्तु निचले स्तर पर मात्र उर्दू अनुवादक तथा टंकक का पद रहने के कारण द्वितीय राजभाषा के विकास एवं कार्यान्वयन का यथोचित फलाफल नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर एक उप निदेशक तथा जिला स्तर पर राजभाषा (उर्दू) पदाधिकारी का पद सृजित किया जाए। जिसमें से 30% पद उर्दू अनुवादक से पदोन्नति पश्चात भरा जाए। तभी उर्दू का वास्तविक कार्यान्वयन संभव है। इससे उर्दू अनुवादकों को पदोन्नति का मौका मिलेगा तथा उर्दू भाषा को रोजगार से जोड़ा भी जा सकेगा।

II. जिलो से किसी भी परिस्थिति में उर्दू का शुन्य प्रगति प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। जिस प्रकार उर्दू वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। वैसे ही प्रत्येक माह इस बात की समीक्षा की जाए कि उर्दू में कितने आवेदन प्राप्त हुए कितने का उत्तर उर्दू में दिया गया। कितने परिपत्रों का उर्दू में रूपांतर किया गया। जिन जिलो का प्रगति अच्छा है, उन्हे प्रोत्साहित किया जाए तथा जहाँ का प्रगति असंतोशजनक है वहाँ उनके CR में इसे दर्ज किया जाए।

III. उर्दू सीखने तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने वालो का वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है परन्तु इसका वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। राजभाषा (उर्दू) से प्राप्त प्रतिवेदन पर संबंधित कर्मी का वेतन वृद्धि देने का स्थाई आदेश निर्गत किया जाए।

2. **राजभाषा (उर्दू) निदेशालय अपने बजट में एक निश्चित राशि सभी विभागों का उर्दू में नाम पट्ट प्रदर्शित करने हेतु दें। तभी सरकारी अधिसूचना के अनुरूप सभी विभागों में उर्दू में नाम पट्ट 100% प्रदर्शित करना सभंव हो सकेगा।**

3. **राजभाषा (उर्दू) निदेशालय का मुख्य कार्य द्वितीय राजभाषा का कार्यान्वयन है। उर्दू पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता, पुस्तकों पर इनाम, मुशायरा, सेमिनार आदि के लिए उर्दू अकादमी की स्थापना अलग से की गई है। इसलिए निदेशालय अपने मुख्य कार्य उर्दू भाषा के वास्तविक कार्यान्वयन पर फोक्स करें।** प्रयास किया जाए कि कम से कम सरकार के महत्त्पूर्ण परिपत्रों / कम्पेडियम तथा अधिनियमों का उर्दू रूपांतरण प्रकाशित हो सके। उर्दू में राजकीय गजट प्रकाशन में सहयोग करें।

4. सरकारी गजट अधिसूचना 661 दिनांक 18.04.1981 की कंडिका 7 के आलोक मे सभी महत्वपूर्ण सूचना तथा पट्ट उर्दू में प्रदर्शित करना है। इसी आलोक में आयोग ने अपने स्तर से प्रयास कर इसे लागू कराने का प्रयास किया है। निम्न तीन महत्त्वपूर्ण मामलो में आदेश निर्गत है। परन्तु इसको वास्तविक कार्यान्वयन अभी तक नही हो पाया है।

I. आयोग की अनुशंसा पर पथ निमार्ण विभाग के पत्रांक 4759 दिनांक 03.08.2015 द्वारा पथों पर किलोमीटर पत्थर पर उर्दू में प्रदर्शन हेतु अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों से बजट की मांग की थी ताकि किलोमीटर पत्थर पर उर्दू में भी संकेत प्रदर्शित किया जाए। मगर 4 वर्षों की अवधि बीत जाने तथा आयोग द्वारा कई स्मार दिए जाने के बावजूद इस पर अमल नही हो सका है। इसका कार्यान्वयन यथाशीध्र कराया जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर मॉडल प्राक्कलन तैयार कर इसे चरणवद्ध लागू किया जा सकता है।

II. आयोग की अनुशंसा पर पथ परिवहन निगम ने अपने पत्रांक 6035 दिनांक 29.12.2015 द्वारा पथ परिवहन निगम की बसों पर तथा अंचल कार्यालयों में उर्दू में नाम पट्ट तथा संकेत पट्ट प्रदर्शन का आदेश निर्गत किया था। मगर लगभग 4 वर्षो की अवधि बीत जाने के बावजूद अब तक इसका वास्तविक अनुपालन नहीं हुआ है। आयोग ने इस संबंध में कई स्मार दिए है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। खेद की बात है कि निगम अपने आदेश का पालन कराने में नाकाम है।

III. आयोग की अनुशंसा पर पर्यटन विकास निगम अपने पत्रांक 1749 दिनांक 02.12.2016 द्वारा पर्यटन निगम की बसों तथा होटलों पर उर्दू में संकेत प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। मगर इसका भी अभी तक अनुपालन नहीं हो पाया है। आयोग ने इस संबंध में कई स्मार दिए है। उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आश्चर्य की बात है निगम अपने आदेश का पालन कराने में अब असफल है।

5. **उर्दू परामर्श दात्री समितिः**—द्वितीय राजभाषा के विकास तथा कार्यान्वयन हेतु एक उर्दू परामर्श दात्री समिति का प्रावधान किया गया है। परन्तु इस समिति का यथोचित लाभ नही मिल पा रहा है। अतः इस सदृढ़ीकरण करते हुए इसको नियमावली बनाने की आवश्यकता है।

6. **CSBC/ICSE विद्यालयों में उर्दू भाषा का पठन—पाठनः**—अधिकतर CSBC/ICSE विद्यालयों रव्रस्तीय विद्यालयों सहित में उर्दू का पठन—पाठन नही होता है। फलतः उर्दू भाषी बच्चे संस्कृत या अन्य विषय पढ़ने के लिए बाध्य होते है। उर्दू राज्य की द्वितीय राजभाषा है। सरकार प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक रखने की नीति पर कारबंद है। ऐसे में उपर्युक्त विद्यालयों में भी उर्दू शिक्षक रखने को अनिवार्य बनाया जाए। साथ ही सभी विद्यालयों को एक समय सीमा के अंदर उर्दू शिक्षक रखने का आदेश दिया जाए अन्यथा यह चेतावनी दी जाती है कि यदि आदेश का पालन नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा दिया गया NOC वापस ले लिया जाएगा।

7. **उर्दू, अरबी—फारसी से जुड़ी राज्य की सरकारी संस्थानों के समस्याओं का समाधानः—**

I. **राजकीय उर्दू पुस्तकालय**—पटना में राज्य का एक मात्र सरकारी उर्दू पुस्ताकालय हैं। मगर वह स्टॉफ की कमी से जूझ रहा है। पुस्तकालय के संचालन हेतु गठित कमिटी में पूर्ण कालिक अध्यक्ष

नहीं रहने के कारण पुस्तकालय में दैनिक कार्यो तथा विकास कार्यों में कठिनाई होती है। पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद काफी दिनों से रिक्त है। फलस्वरूप पुस्ताकालय के रख रखाव में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त भी कई पद रिक्त हैं।

अतः पुस्ताकायल में एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष सहित सभी रिक्त पदों पर यथाशीध्र बहाली की जाए तथा पुस्तकालय का अनुदान बढ़ाया जाए। आयोग ने पुस्तकालय की समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग को कई पत्र दिए है मगर अभी तक कोई फलाफल सामने नहीं आया है।

II. **मदरसा इसलामिया शमसुल होदा**–यह राज्य का एक मात्र सरकारी मदरसा है परन्तु यहाँ भी शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ की कमी के कारण पठन–पाठन का कार्य बाधित हो रहा है। उन सभी पदों पर यथाशीध्र बहाली की जाए। नियमित बहाली होने तक संविदा पर सेवानिवृत कमिर्यो को रखने का आदेश दिया जाए ताकि पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आयोग ने इस बारे में शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट किया है मगर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

III. **आरबी–फारसी शोद्य संस्थान**–पटना में यह देश का अपने तरह के इने गिने संस्थाओं में एक है। मगर शिक्षकों की कमी के कारण इस संस्थान के उद्देश्य की प्राप्ति नही हो रही है। आयोग ने इस विषय में शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट किया है मगर अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है।

IV. **मदरसा शिक्षा तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों** की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु एक पृथक निदेशालय का सृजन किया जाए।

साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यालय हेतु स्थाई भवन निमार्ण के लिए पटना में भूमि तथा भवन निमार्ण हेतु अनुदान दिया जाए।

V. **राजकीय तिब्बिया कॉलेज**–राजकीय तिब्बिया कॉलेज की समस्याओं का समाधान किया जाए। यह संसाधनों की कमी से जुझ रहा है। भवन भी काफी पुरानी तथा एजबसटस का है। उसी प्रागंण में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज है जिसका बहुमंजिला इमारत है। दोनों संस्थानों को देखने से फर्क स्पष्ट नजर आता है। तिब्बिया कॉलेज की समस्याओं का समाधान किया जाए तथा इमारत का नवनिमार्ण कराया जाए।

❖

अध्याय–पंचम

बंगला भाषी अल्पसंख्यकों की ज्वलंत समस्याऐं

बंगला भाषी शरणार्थियों की समस्याऐं

1947 में देश के बंटवारा के बाद भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से बंगला भाषी हिंदु शरणार्थी भारत आए थे, जिन्हें देश के विभिन्न भागों में बसाया गया था। बिहार में उन्हें मुख्यतः पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, कटिहार, गया, अररिया, सहरसा और दरभंगा आदि जिलों में बसाया गया था। परन्तु अभी तक उन शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया है। उनकी प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार है जिनका समाधान आवश्यक है।

1. जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण वे सरकार द्वारा मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते है। अतः सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाए कि उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।

2. शरणार्थी परिवार को आवंटित जमीन बहुत से स्थान पर बेदखल करने का प्रयास किया जाता है। जिसकी शिकायत आयोग कार्यालय में मिलती रहती है। अतः सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया जाए कि उनकी समस्याओं का समाधान स्थानीय तौर पर करें ताकि उन्हे इसके लिए मुख्यालय का दौड़ नही लगाना पड़े।

3. बंगला भाषी शरणार्थी की आबादी वाले क्षेत्रों में बंगला भाषा की मातृ भाषा के रूप में पढ़ाई सुनिश्चित की जाए।